न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1067 सन 2026
CNR. No.UPSP010032372026

परमाल पुत्र भोपाल सिंह निवासी ग्राम सुन्दरपुर, थाना बिहारीगढ़, जिला सहारनपुर।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

परिवाद संख्या–1302/2025
धारा 406,420,504,506 भा0दं0सं0
थाना बेहट, जिला सहारनपुर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

16.04.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **परमाल** की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा स्वयं का शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

परिवादपत्र के कथानक संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी का मित्र सुशील कुमार विपक्षी संख्या–1 के गांव का है। सुशील ने परमाल की जमीन खरीदने हेतु दिनांक 10.02.2014 को 6,50,000/–रूपये में परिवादी व संदीप के नाम एग्रीमैन्ट कराया था, जिसमें परिवादी व संदीप ने आधे–आधे रूपये मिलाकर 6,00,000/–रूपये परमाल को दिये और बाकी 50,000/–रूपये बैनामे की दिनांक 10.02.2015 को देने थे। दिनांक 10.02.2015 को परमाल बैनामा करने हेतु उपस्थित नहीं आया और उसके बाद भी बैनामा नहीं किया और टालता रहा। मार्च 2014 में परिवादी को पता चला कि परमान ने दिनांक 21.04.2014 को अपनी जमीन का बैनामा आशिमा को कर दिया, जबकि उसी जमीन का एग्रीमैन्ट परिवादी व संदीप के साथ किया हुआ था। दिनांक 12.07.2015 को परिवादी व संदीप कुमार तथा सुभाष चन्द वर्मा ने परमाल से 6,00,000/–रूपये वापस मांगे तो परमाल ने उन्हें गन्दी–गन्दी गालियां एवं जान से मारने की धमकी दी।

परिवादी के परिवादपत्र तथा साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200दं0प्र0सं0 व धारा 202 दं0प्र0सं0 के आधार पर अभियुक्त परमाल को धारा 406,420,504,506 भा0दं0सं0 के अपराध में विचारण हेतु तलब किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि वह वाद उपरोक्त में निर्दोष है, उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। सत्यता यह है कि अभियुक्त द्वारा वादी सन्दीप कुमार के पक्ष में इकरारनामा माहदा बय निष्पादित किया गया था परन्तु बाद में वादी मुकदमा द्वारा स्वॅय के पक्ष में बैनामा कराने में असमर्थता जाहिर कर पैसे वापस मांगे गये और अभियुक्त की ओर से वादी को 06 लाख रूपये वापस कर दिये गये। वादी द्वारा विश्वास दिलाया गया कि वह इकरारनामा के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा। लेकिन वादी द्वारा झूठे कथनो के आधार पर यह मुकदमा लिखा दिया है। उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास भी नहीं है। उक्त आधार पर अभियुक्त की ओर से उसे इस मामले में अग्रिम जमानत के लाभ प्रदान किए जाने की याचना की गयी।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

अवर न्यायालय की तलबिदा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष योजित परिवाद में अभियुक्त को धारा–420,406,504,506 भा0द0सं0 के अपराध के विचारण हेतु तलब किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में **माननीय उच्च**

न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–482 बी0एन0एस0एस0 न0–4464/2025 विधि आषीश कुमार बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य** के मामले में पैरा न0–32 में निम्न विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है–

> **(I) In a complaint case involving accusation of a non-bailable offence, anticipatory bail is not maintainable upon the issuance of a summons, as there is not apprehension of arrest by the police without warrant;**
>
> **(II) In the aforementioned complaint case, when a bailable warrant is issued, although the accused may fear the arrest in pursuance of bailable warrant but he will be released on bail on his readiness to provide it. Therefore, in such cases also, the anticipatory bail is not maintainable as there is no apprehension of arrest and detention.**
>
> **(III) In the event of a non-bailable warrant or proclamation issued in the above complaint case, anticipatory bail is typically not maintainable. However, in view of the judgement of the Apex Court in Srikant Upadhyay (supra), the court may grant pre-arrest bail in exceptional circumstances in the interest of justice.**

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 द्वारा तर्क किया गया है कि प्रस्तुत मामले में अवर न्यायालय की पत्रावली के अनुसार अभियुक्त को विचारण हेतु उपरोक्त प्रकरण में धारा–420,406,504,506 भा0द0सं0 के अपराध के सन्दर्भ में आदेश दिनांकित 03.10.2016 के अनुसार तलब किये जाने के पश्चात अवर न्यायायल द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध निर्गत सम्मन पर उसके उपस्थित न आने पर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 04.07.2023 के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट की आदेशिका जारी की गयी है और इस स्तर पर अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अवर न्यायालय की पत्रावली के अनुार अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 03.10.2016 के माध्यम से इस मामले में विचारण हेतु तलब किये जाने के पश्चात अभियुक्त द्वारा विचारण की कार्यवाही में सहयोग किया जाना दर्शित नहीं है। इस सन्दर्भ में विद्वान अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 के द्वारा तर्क किया गया है कि प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण मामले का निस्तारण भी विलम्बित हुआ है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभियुक्त के आचरण को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है। मामले के गुण दोष पर बिना कोई विचारण किये, अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **परमाल** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। इस आदेष की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेशित की जाये।

दिनांक 16.04.2025

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
I.D. UP-1891